महापुरुषों की जयंती के दिन ही नहीं, नियमित रूप से हो सफाई

महाराणा प्रताप चौक पर चलाया गया स्वच्छता अभियान

नवभारत न्यूज
ग्वालियर 15 मई। गोला का मंदिर स्थित महाराणा प्रताप चौक पर एक विशेष साफ-सफाई अभियान चलाया गया। यह सफाई अभियान महाराणा प्रताप जन्मोत्सव समिति ने 17 जून को मनाई जाने वाली वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के पूर्व चलाया। इस कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। अभियान के दौरान उपस्थित जनों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा और उसके आसपास के परिसर की गहन सफाई की। इसके उपरांत, सभी ने स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उपस्थित जनों ने शहरवासियों से ग्वालियर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान देने की भावुक अपील भी की। कार्यक्रम के समापन पर समिति के संयोजक रामराज सिंह ने उपस्थित सभी सहयोगियों और समाजसेवियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से समाजसेवी पंकज सिंह राठौर, सत्यवीर बघेल, संतु तोमर, दिनेश भदौरिया, राजाराम कुशवाह सर और बंटू तोमर सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

17 जून को मनेगी 486वीं जन्म वर्षगांठ

मेवाड़ के वीर योद्धा और राष्ट्रभक्ति के अद्वितीय प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती इस वर्ष 2026 में 17 जून (बुधवार) को मनाई जा रही है। विक्रम संवत के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को आने वाली यह तिथि उनकी 486वीं जन्म वर्षगांठ है। यह दिन उस महानायक के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की।

प्रशासन से नियमित सफाई की मांग: समिति के सदस्यों ने नगर निगम प्रशासन से पुरजोर अपील की है कि केवल जयंती के दिन ही नहीं, बल्कि महापुरुषों की जयंती और अन्य आयोजनों के अगले दिन भी प्रतिमा स्थलों और उसके आसपास के क्षेत्रों में नियमित रूप से विशेष सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए। इससे इन ऐतिहासिक और पूजनीय स्थलों की गरिमा, स्वच्छता और व्यवस्था हमेशा बनी रहेगी।

इनका कहना है ...

हमारा उद्देश्य केवल जयंती मनाना नहीं, बल्कि महापुरुषों के विचारों और उनके सम्मान को अक्षुण्ण रखना है। हमने आज स्वच्छता अभियान चलाकर एक शुरुआत की है। ग्वालियर को स्वच्छता में नंबर-1 बनाने के लिए जनसहभागिता और प्रशासन का आपसी तालमेल बहुत जरूरी है।
रामराज सिंह, संयोजक, महाराणा प्रताप जन्मोत्सव समिति

ग्वालियर का गौरव तभी बढ़ेगा जब हमारे महापुरुषों के स्थल स्वच्छ और सुंदर रहेंगे। हमने शहरवासियों से भी अपील की है कि वे इन स्थलों के आसपास गंदगी न फैलाएं। हमारी छोटी सी कोशिश शहर की तस्वीर बदल सकती है।
पंकज सिंह राठौर, समाजसेवी

प्रशासन को एक स्थायी व्यवस्था बनानी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि आयोजनों के अगले दिन प्रतिमा स्थलों पर उपेक्षा नजर आती है। प्रशासन को चाहिए कि वह आयोजनों के अगले दिन भी अनिवार्य रूप से सफाई सुनिश्चित कराए, ताकि इन स्थलों की गरिमा बनी रहे।
राजाराम कुशवाह, वरिष्ठ शिक्षाविद/सदस्य

करोड़ों की डिलीवरी कंपनी में सेंध

नवभारत न्यूज
ग्वालियर 15 मई। कूरियर कंपनी के पार्सल से कीमती मोबाइल चोरी कर कंपनी को लाखों का चूना लगाने वाले एक शातिर डिलीवरी बॉय को ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने शातिराना अंदाज में 7 एंड्रॉयड मोबाइल पार्सल बॉक्स से गायब कर दिए और पकड़े जाने के डर से उनमें पत्थर भर दिए थे। पुलिस ने आरोपी को अजयपुर, लश्कर स्थित उसके किराये के मकान से दबोचा है।

डीडी नगर (चावला मार्केट) निवासी फरियादी राजकुमार शर्मा ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 'इंस्टाकार्ड डिलीवरी कंपनी' में ग्वालियर जिले के टीम लीडर हैं। उनके यहाँ ध्रुव सेम नाम का युवक डिलीवरी बॉय का काम करता था। बीती 21 जनवरी को ध्रुव ऑफिस से डिलीवरी के लिए कुल 28 पार्सल लेकर निकला था, लेकिन शाम को वापस नहीं लौटा। संदेह होने पर जब टीम लीडर ने ऑफिस में ध्रुव के छोड़े गए डिलीवरी बैग की जांच की, तो दंग रह गए। ध्रुव ने 28 में से 16 पार्सल तो डिलीवर कर दिए थे, लेकिन उनके पैसे ऑफिस में जमा नहीं किए। 5 पार्सल बैग में सुरक्षित मिले, जबकि शेष 7 पार्सल बॉक्स को जब खोलकर देखा गया तो उनमें से करीब 3 लाख 25 हजार रुपये कीमती एंड्रॉयड मोबाइल गायब थे और उनकी जगह पत्थर भरे हुए थे। इसके बाद आरोपी अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गया था। लाखों की चोरी का मामला सामने आते ही पुलिस क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी निरीक्षक अमित शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम और तकनीकी सेल को काम पर लगाया गया।

पुलिस ने इस मामले में बीएनएस के तहत केस दर्ज किया था। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी। 14 मई को तकनीकी सहायता और सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने आरोपी ध्रुव सेम (उम्र 25 वर्ष), निवासी- बारह बीघा (माधवगंज) को लश्कर के अजयपुर स्थित एक किराए के मकान से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ध्रुव सेम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि चोरी किए गए 7 मोबाइल फोनों में से 4 मोबाइल उसने लश्कर इलाके में और 3 मोबाइल ठाठीपुर क्षेत्र में बेच दिए हैं।

नामांकन विज्ञप्ति/संशोधन सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 13.05.2026 के दैनिक समाचार पत्र में क्षेत्र क्रं 21 वार्ड 54 की विज्ञप्ति में आवेदक का नाम में अर्पित लिखना भूल गये है। अतः जिसमें अर्पित भी सम्मलित किया जावे बाकी सब यथावत है।

आवेदक-अनुराग शिवहरे, अर्पित/स्व. अशोक कुमार शिवहरे
पता-जवाहर कॉलोनी ग्वा0(म.प्र.)
मो0-9098318726

वार्ड क्रमांक 19, 22, 45, 57 एवं 59 की टीमों के बीच हुआ मैच

लक्की ड्रॉ में दर्शकों के लिये आर्कषक उपहार

नवभारत न्यूज
ग्वालियर 15 मई। जन उत्थान न्यास के तत्वाधान में हो रहे विधायक प्रीमियर लीग 2026 रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के आज 6 मैच एम.एल.बी कॉलेज के खेल मैदान में सायं 4 बजे से आयोजित किये गये। पहला मैच सायं 4 बजे टीम 22/ए एवं टीम 22/डी के मध्य खेला गया। दूसरा मैच सायं 5 बजे से टीम 45/ई एवं टीम 45/आई के मध्य, तीसरा मैच सायं 6 बजे से टीम 59/सी एवं टीम 59/जी के मध्य, चौथा मैच सायं 7 बजे से टीम 45/ओ एवं टीम 57/एल के मध्य, पांचवा मैच सायं 8 से टीम 19/ए एवं 19/बी के मध्य एवं अंतिम छठवां मैच टीम 57/सी एवं टीम 57/आई के मध्य खेला गया।

टूर्नामेंट के अंत में रोजाना न्यासी आदित्य सिकरवार द्वारा दर्शकों के लिये लक्की ड्रा खोला जाता हैं, 30 दर्शकों को आर्कषक उपहार दिये जा रहे है।

मैच की शुरूआत में अतिथियों ने टीमों से परिचय किया और टीमों को शुभकामनाएं दी। आज के टूर्नामेंट में अतिथियों के रूप में दीपक पमनानी, ग्वालियर टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, सचिव आशीष जैन, एम.आई.सी मेम्बर एवं पार्षद गायत्री सुधीर मण्डेलिया, पार्षद अंकित कठठ्ल एवं पार्षद प्रमोद खरे मौजूद रहे।

आज शाम एम.एल.बी मैदान पर पहला मैच वार्ड क्रमांक 22 की टीम टीम 22/ए एवं 22/डी के बीच खेला गया। टीम 22/ए ने टॉस जीतकर बैटिंग की और 8 ओवर में 37 रन बनाये। जिसके विरूद्ध टीम 22/डी ने 1 ओवर 4 बॉल में 38 रन बनाये और जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच अरूणेश को मिला।

दूसरा मैच वार्ड क्रमांक 45 की टीम 45/ई एवं टीम 45/आई के बीच खेला गया। टीम 45/ई ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की। टीम 45/आई ने बैटिंग करते हुये 8 ओवर में 126 रन बनायें। जिसके विरूद्ध टीम 45/ई ने 8 ओवर में 112 रन बनाये और मैच हार गई। मैन ऑफ द मैच 74 रन बनाने पर जुबेर को दिया गया। तीसरा मैच वार्ड क्रमांक 59 की टीम 59/सी एवं टीम 59/जी के बीच खेला गया। टीम 59/जी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 8 ओवर में 146 रन बनाये। जिसके विरूद्ध टीम 59/सी ने 8 ओवर में 47 रन बनाये और मैच हार गई। मैन ऑफ द मैच 68 रन बनाने पर निखिल को मिला।

बुन्देलखण्ड निर्माण मोर्चा निकालेगा 'जनप्रतिनिधि धिक्कार यात्रा'

दतिया, 15 मई। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी सांसद एवं विधायकगण अपने निजी हितों को सर्वोपरि मानकर बुन्देलखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन का सहयोग नहीं कर रहे हैं। चुनाव में ये सारे जनप्रतिनिधि बुन्देलखण्ड-बुन्देलखण्ड के नारे लगाते हैं और चुनाव के बाद बुन्देलखण्ड को बिसार देते हैं। बुन्देलखण्ड निर्माण मोर्चा इन सभी सांसदों एवं विधायकों के विरोध में 'जनप्रतिनिधि धिक्कार यात्रा' निकाल रहा है जिसमें इन जनप्रतिनिधियों को धिक्कारने का कार्य किया जायेगा। दतिया, भिड़ लोकसभा क्षेत्र में दो दिवसीय जनप्रतिनिधि धिक्कार यात्रा के दौरान अखण्ड बुन्देलखण्ड क्षेत्र के नो सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। प्रथम दिवस पत्रकार वार्ता, अधिवक्ताओं, किसानों, व्यापारियों, मजदूरों, छात्रों के संगठनों एवं राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से आन्दोलन में जुड़ने का सहयोग मांगा जायेगा तथा शाम को मुख्य बाजार में मशाल यात्रा निकाली जायेगी। दूसरे दिन प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा जायेगा। क्षेत्र के सासंद व संसदीय क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले विधायकों को अपनी मातृभूमि (बुन्देलखण्ड) का सहयोग नही करने के कारण उन्हे धिक्कारने वाले पत्र खून से लिखे जायेंगे।

आम-सूचना

श्री रमेश सिंह जाट पुत्र श्री भंवरलाल उर्फ रतनलाल एवं श्रीमती रामा जाट पत्नी श्री कुलदीप जाट के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन, स्थित ग्राम तलावडा, प.ह.तलावडा, तहसील एवं जिला श्योपुर (म.प्र.) है जो भूमि सर्वे क्र.70(बी), ब्लॉक क्र.37(पी) ग्राम तलावडा का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 88.00 वर्गमीटर है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में-भवन श्री शंकर कुशवाह, पश्चिम में-भवन भगत सिंह, उत्तर में खाली प्लॉट पंकज जाट एवं दक्षिण में-रास्ता है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में भू-राजस्व रिकॉर्ड वर्ष 2022-23 के अनुसार, श्री रमेश सिंह जाट पुत्र श्री भंवरलाल उर्फ रतनलाल के स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री रमेश सिंह जाट द्वारा उक्त सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती रामा जाट पत्नी श्री कुलदीप जाट के हित में ई-रजिस्टर्ड सहस्वामित्व विलेख क्र. एमपी26आईजीआर 18592026ए100568665 दिनांक 14.05.2026 को सम्पादित किया गया। उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित वर्ष 2022 से पूर्व कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। श्री रमेश सिंह जाट एवं श्रीमती रामा जाट द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार इण्डिया शैल्टर फायनेंस कॉर्पोरेशन लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर अथवा वर्ष 2022 से पूर्व का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. भवन क्र.52, कैलाश विहार, फेडरल बैंक के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री रामनाथ के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित काशीबाबा कॉलोनी, महाराजपुर, ग्राम जौरा खुर्द, तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.) हे जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र. 47 (भगत सिंह वार्ड) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.1813 ग्राम जौराखुर्द का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1040 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में-भूमि स्वामी, पश्चिम में-रास्ता 20 फुट चौड़ा, उत्तर में भूमि स्वामी एवं दक्षिण में-भवन दीगर है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री रामहेत, श्री केदार सिंह पुत्रगण श्री लखुआ, देवकी, सोनो पुत्रियां श्री लखुआ के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री रामहेत का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्रीमती शांति देवी उर्फ संतो देवी पत्नी श्री रामहेत उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्रीमती शांति देवी उर्फ संतो देवी द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री रामनाथ को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी25792022ए1877912 दिनांक 26.08.2022 से विक्रय की गई। श्रीमती मुन्नी देवी द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार आवास फायनेंसियर्स लिमिटेड वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को एवं श्री रामहेत के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या.-भवन क्र.52, कैलाश विहार, फेडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 16 वार्ड क्रं 37, स्थान निम्मा जी की खो ग्वा0 मे स्थित है जो कि जो कि श्रीमती मीना कुशवाह पुत्री शेर सिंह पत्नी संजीव कुमार के नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 9000243698 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 600 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी21आईजीआर17402026 ए100348935 दिनांक 24.03.2026 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र जीवाजीगंज क्षे.क्र 16, पर दिनांक 08.05.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 81/2010/39067/61255 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
छोटू खान/अजीम खान
पता-निम्मा जी की खो ग्वा0(म.प्र.)
विज्ञप्ति जारी दिनांक-15.05.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 20 वार्ड क्रं 48, भवन क्रं 250, स्थान गाडवे की गोठ ग्वा0 मे स्थित है जो कि जो कि फतेह सिंह जादौन/स्व. मनोहर सिंह जादौन के नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 1000066794 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 538 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं18925 दिनांक 24.03.2008 विभाजन द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र 20 सिंधी कॉलोनी बरार समाज क्षे.क्र 20, पर दिनांक 14.05.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 74/2010/65543/65608 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
जनवेद सिंह जादौन/स्व. फतेह सिंह जादौन
पता-गाडवे की गोठ ग्वा0(म.प्र.)
मो0-7610679712
विज्ञप्ति जारी दिनांक-15.05.2026

जल भराव वाले संभावित क्षेत्रों का भ्रमण करें : निगमायुक्त

नवभारत न्यूज
ग्वालियर 15 मई। सभी क्षेत्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में घूमकर संभावित जलभराव वाले स्थानों का निरीक्षण कर लें जहां कार्य स्वीकृत हो चुके हैं वह तत्परता से बारिश से पहले पूर्ण कराये तथा जहां कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं वहां जल निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक रूप से कर दें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कडी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित विधानसभा के अपर आयुक्त जलभराव वाले स्थानों पर चल रहे कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करें। बारिश के दौरान कहीं भी जलभराव नहीं होना चाहिए। उक्ताशय के निर्देश नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने जन कार्य विभाग की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को दिए।

बाल भवन के टीएलसी में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अपर आयुक्त टी प्रतीक राव, श्री प्रदीप तोमर, कार्यपालन यंत्री सुशील कटारे, सुरेश अहिरवार सहित सभी सहायक यंत्री उपस्थित रहे एवं सभी क्षेत्राधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुडे।

बैठक में निगमायुक्त संघ प्रिय ने 77 मुख्य मार्गों के निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली तथा सभी अधिकारियों से कार्य पूर्णता की दिनांक लिखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन सड़कों के अनुबंध जारी हो चुके हैं उनके वर्क ऑर्डर बुधवार जक जारी करें। वहीं गुप्तेश्वर कॉलोनी की विभिन्न गलियों में सीसी रोड का कार्य करने वाले ठेकेदार को टर्मिनेट कर 15 दिवस का रीटेंडर करें। इसके साथ ही अन्य सड़कों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना, द्वारिका नगर योजना एवं विशेष निधि की सड़कों की चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

वार्ड 63 में नाला निर्माण के कार्य में लापरवाही को लेकर सहायक यंत्री रजनीश गुप्ता को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग एवं बाल वाटिका आंगनवाडी निर्माण कार्य की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

बैठक में जल भराव वाले स्थानों की समीक्षा विधानसभा वार की जिसमें ऐसे स्थानों की जानकारी ली जहां कार्य चल रहा है तथा जिनके टेंडर हो चुके हैं। उन स्थानों पर तत्काल कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही वार्ड 18 एवं 19 के जल भराव वाले क्षेत्रों सहित ग्वालियर विधानसभा के नर्सिंग नगर व शहर के अन्य स्थानों पर जल भराव को लेकर चर्चा की एवं संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां भी जो व्यवस्था करनी है, वह समय रहते पूर्ण कर लें। शहर मे कही भी यदि जल भराव हुआ तो संबंधित क्षेत्र के उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री जिम्मेदार होगें।

डेंगू और चिकुनगुनिया का बढ़ता प्रकोप, एडवाइजरी जारी

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की सख्त गाइडलाइन, बताये लक्षण और बचाव के उपाय

नवभारत न्यूज
ग्वालियर 15 मई। शहर में पैर पसार रहे डेंगू और चिकुनगुनिया के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। आमजन को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए विभाग द्वारा एक विस्तृत स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, डेंगू और चिकुनगुनिया 'एडीज' नाम के मच्छरों के काटने से फैलता है। यह मच्छर अमूमन घरों के भीतर या आसपास जमा साफ और रुके हुए पानी में ही पनपता है।

हैरान करने वाली बात यह है कि डेंगू का मच्छर सामान्यत: दिन के समय काटता है और घरों के अंदर नमी व अंधेरे वाले कोनों में छुपकर आराम करता है।

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सतर्क रहें, क्योंकि जनसहयोग से ही इस संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता है।

सिर्फ 7 से 12 दिनों में तैयार हो जाता है मच्छरों का 'फौज': एडवाइजरी के अनुसार, हमारे घरों में या आसपास खुले पड़े जलपात्रों जैसे—पानी की टंकी, पुराने टायर, गमले, कूलर, दीये, मटके, छतों पर पड़ा कबाड़, मनी प्लांट के पॉट, प्लास्टिक की बोतलें, कप-ग्लास और टूटे-फूटे खिलौनों में जमा पानी में मच्छर अंडे देते हैं। इन अंडों से लार्वा और फिर प्यूपा बनता है, जो मात्र 3 से 4 दिनों में उड़ने वाले मच्छर के रूप में बदल जाता है। साफ पानी में मच्छरों का यह उत्पत्ति चक्र 7 से 12 दिनों के भीतर पूरा हो जाता है। अत: हर हफ्ते ऐसे पात्रों को खाली करना बेहद जरूरी है।

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, तुरंत लें डॉक्टरी सलाह: स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, जब एडीज मच्छर किसी डेंगू मरीज को काटता है, तो वह संक्रमित हो जाता है और फिर स्वस्थ व्यक्तियों को काटकर बीमारी फैलाता है।

शुरुआती लक्षण: अत्यधिक कमजोरी, तेज बुखार, सिर और हाथ-पैरों में तेज दर्द। गंभीर लक्षण: शरीर या आंखों में खून के चकत्ते दिखना, नाक, मसूड़ों या अन्य अंगों से रक्तस्राव (ब्लीडिंग) होना और उल्टी आना।

खतरे की स्थिति: उपचार में देरी होने पर मरीज को चक्कर आ सकते हैं, वह बेहोश हो सकता है या शॉक की स्थिति में जा सकता है, जो जानलेवा है।

सावधान! मेडिकल स्टोर से खुद दवा लेना या झोलाछाप से इलाज पड़ सकता है भारी: विभाग ने सख्त हिदायत दी है कि डेंगू के लक्षण दिखने पर बिना डॉक्टरी परामर्श के खुद से कोई भी दर्द निवारक (पेनकिलर) दवा न लें।

इससे मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है। बुखार होने पर केवल उम्र के अनुसार उचित मात्रा में पैरासिटामोल ली जा सकती है। इसके अलावा, झोलाछाप और अप्रशिक्षित डॉक्टरों से इलाज कराने से बचें।

ग्वालियर में जांच पूरी तरह नि:शुल्क: संभावित रोगियों की सुविधा के लिए जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में डेंगू व चिकुनगुनिया की जांच पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध है। लक्षण दिखते ही तुरंत जांच कराएं ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके और प्रभावित इलाके में नगर निगम व स्वास्थ्य अमला फॉगिंग और नियंत्रण की कार्रवाई कर सके।

बचाव और उपचार: क्या करें और क्या न करें?

मरीज की रिकवरी के लिए जरूरी, जांच में पुष्टि होने पर डॉक्टर की देखरेख में पूरा इलाज लें। मरीज को भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ दें, जैसे: नारियल पानी और फलों का रस, दाल का पानी और ओ.आर.एस. का घोल, पर्याप्त मात्रा में उबला हुआ पानी, मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के अचूक उपाय, पानी बदलें: सप्ताह में एक बार टंकी, मटके और कूलर का पानी अनिवार्य रूप से बदलें। खुली टंकियों को ढककर रखें।

ऑयल का इस्तेमाल: जिन अनुपयोगी बर्तनों या गड्ढों का पानी नहीं बदला जा सकता, उनमें मिट्टी का तेल (केरोसिन), खाने का तेल या गाड़ियों से निकला जला हुआ ऑयल डाल दें। इससे लार्वा और प्यूपा सांस नहीं ले पाते और नष्ट हो जाते हैं। सुरक्षित कपड़े: मच्छरों से बचने के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनें। मच्छरदानी और रिपेलेंट: दिन में मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम या अगरबत्ती का उपयोग करें और सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि इस जानकारी को अपने परिवार, मित्रों और सोसायटियों में साझा करें, ताकि हर नागरिक अपने घर और मोहल्ले को सुरक्षित रख सके।

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 02 वार्ड क्रं. 10, भवन क्रं. ..., स्थानः कोटेश्वर कॉलोनी पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव / श्री कैलाश नारायण श्रीवास्तव, रामदयाल वर्मा / श्री मैथलीशरण वर्मा के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000089920 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1040 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. विक्रय-पत्र के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र नौ-महला क्षे.क्रं. 02 पर दिनांक 15.05.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 61/2010/58319/58523/प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
सुरेश कुमार दुबे / श्री कल्लूराम दुबे
पताः कोटेश्वर कॉलोनी, वार्ड-10
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 15-05-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 16 वार्ड क्रं. 37, भवन क्रं. .., स्थानः प्लाट क्र-05, बजरंग कॉलोनी, निम्मा जी की खो पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती मीना कुशवाह पुत्री शेर सिंह पत्नी श्री संजीव कुमार के नाम से नगर निगम में आई. डी. क्रं. 9000243693 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 560 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. विक्रय पत्र के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र जीवाजीगंज क्षे.क्रं. 16 पर दिनांक 08.05.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 81/2010/39066/61254/ प्र.क्रं. *3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती प्रियंका राजपूत / श्री तरूण राजपूत
पताः प्लाट क्र-05, बजरंग कॉलोनी, निम्मा जी की खो, वार्ड-37
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 15-05-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 38, भवन क्रं. .., स्थानः प्लाट नवग्रह कॉलोनी लश्कर ग्वालियर पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती राजेन्द्र कुमार दीक्षित पिता श्री राज नारायण दीक्षित के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000296871 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 750 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. (मृत्युउपरांत- उत्तराधिकार) के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढोली बुआ का पुल क्षे.क्रं. 17 पर दिनांक 05.05.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 71/2010/58869/ 59061/प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती ज्योत्सना दीक्षित पति स्व. श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित
श्री दुष्यंत दीक्षित, श्री दिवाकर दीक्षित,
दीपा पाण्डेय पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित
पताः प्लाट नवग्रह कॉलोनी लश्कर ग्वालियर, वार्ड-38
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 15-05-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 22 वार्ड क्रं. 62, भवन क्रं. ..., स्थानः ई-64, खेरियामिर्धा पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती मै. डी.सी.ए. डेवलपर्स द्वारा धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया / श्री रामेन्द्र सिंह भदौरिया, चन्द्रेश सिंह पवैया / स्व. श्री गोपाल सिंह पवैया के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 9000239853 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 803 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. A100060825 दिनांक 19.01.2026 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र खुरैरी क्षे.क्रं. 22 पर दिनांक .... को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. .. प्र. क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
राघवेन्द्र सिंह राजावत / श्री गोविन्द सिंह राजावत
पताः ई-64, खेरियामिर्धा, वार्ड-62
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 15-05-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 22 वार्ड क्रं. 62, भवन क्रं. ..., स्थानः प्लॉट क्रं. 88, सॉंई आनंद पुरम् सैंथरी पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती प्रहलाद सिंह जादौन / श्री नत्थू सिंह जादौन के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 9000214838 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. A1086592 दिनांक 06.02.2025 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र खुरैरी क्षे.क्रं. 22 पर दिनांक .... को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. .. प्र.क्रं. *3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
मनजीत सिंह, निरंजन / श्री देवेन्द्र सिंह
पताः प्लॉट क्रं. 88, सॉंई आनंद पुरम् सैंथरी, वार्ड-62
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 15-05-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 20 वार्ड क्रं. 48, भवन क्रं. 1487, स्थानः सिंधु आदर्श कालोनी पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती अनीता वर्मा / जुगल किशोर वर्मा के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000170367 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 512 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. R-11122501801788 दिनांक 11.12.2025 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र सिंधी कालोनी क्षे.क्रं. 20 पर दिनांक 04.05.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 74/2010/65487/65553/प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
परवीन बाई / नवी खान
पताः सिन्धु आदर्श कालोनी, वार्ड-48 मोः 8103550240
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 15-05-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 20 वार्ड क्रं. 48, भवन क्रं. 449 का भाग, स्थानः गाडवे की गोठ पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती दीपक अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, नीतू अग्रवाल / श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल के नाम से नगर निगम में आई. डी. क्रं. 9000233352 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 67 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. A1230162 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र सिंधी कालोनी क्षे.क्रं. 20 पर दिनांक 22.04.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 74/2010/65447/65513/प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
सोना मोटवानी / श्री चन्दरलाल मोटवानी
पताः गाडवे की गोठ, वार्ड-48
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 15-05-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 20 वार्ड क्रं. 48, भवन क्रं. 449 का भाग, स्थानः गाडवे की गोठ पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती दीपक अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, नीतू अग्रवाल / श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल के नाम से नगर निगम में आई. डी. क्रं. 9000233335 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 72.5 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. A1230154 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र सिंधी कालोनी क्षे.क्रं. 20 पर दिनांक 22.04.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 74/2010/65448/65514/प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
सोना मोटवानी / श्री चन्दरलाल मोटवानी
पताः गाडवे की गोठ, वार्ड-48
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 15-05-2026